Hindi Cell
Rajiv Gandhi University
Rono Hills

Letter no.RGU/HC/IFCH/2012/06/.05

Dated-10/08/26

CIRCULAR

In pursuance of the provisions of the Official Language Rules, the Hindi Cell of Rajiv Gandhi University is required to submit the Quarterly Progress Report regarding the implementation and progress of Official Language (Hindi) activities within the University.

It has, however, been observed that several Department/Cell/Office/Branch of the University are not submitting the duly filled-in prescribed format to the Hindi Cell within the stipulated time.

All concerned Department/Cell/Office/Branch are, therefore, hereby directed to ensure the timely and complete submission of the Quarterly Progress Report to the Hindi Cell without fail.

Henceforth, any Department/Cell/Office/Branch failing to submit the required report shall be solely responsible for any clarification, enquiry, inspection or other consequences arising out of such non-submission during any inspection or enquiry conducted by representatives of the University Grants Commission (UGC) and/or the Ministry of Home Affairs, Government of India.

All Heads of Department/Cell/Office/Branch/Institute are requested to ensure compliance with the above instructions with immediate effect.
This issued is approved in e-file no.1772& note sheet#..4.. by the Competent Authority.

SD/
Registrar

Letter no. – **RGU/HC/IFCH/2012/06/.05** Dated: 19../08/2026
Copy to-:

1. PS to Hon'ble Vice-Chancellor for information please.
2. PS to Registrar for information please.
3. All Head of Dept./Branch/Institute/Office/Cells for information & n.a. please.
4. Computer Centre for information & with a request to upload the same on the University website.
5. Office Copy.

(Dr. Gumpi Nguso)
Hindi Officer

PTO

हिंदी प्रकोष्ठ
राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोइमुख

पत्र सं- आरजीयू/एचसी/आईएफसीएच/2012/06/.05 दिनांक- 10/08/2026

परिपत्र

राजभाषा नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में, राजीव गांधी विश्वविद्यालय का हिंदी प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय में राजभाषा (हिंदी) के कार्यान्वयन एवं प्रगति से संबंधित त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है।

यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय के अनेक विभागों/प्रकोष्ठों/कार्यालयों/शाखाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरी हुई त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित समय-सीमा के भीतर हिंदी प्रकोष्ठ को प्रस्तुत नहीं की जा रही है।

अतः सभी संबंधित विभागों/प्रकोष्ठों/कार्यालयों/शाखाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से हिंदी प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

भविष्य में किसी भी विभाग/प्रकोष्ठ/कार्यालय/शाखा द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा/या भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने वाले किसी भी निरीक्षण अथवा पूछताछ के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी स्पष्टीकरण,जाँच, निरीक्षण अथवा अन्य परिणामी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग/प्रकोष्ठ/कार्यालय/शाखा/संस्थान स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
सभी विभागाध्यक्ष/प्रकोष्ठाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/शाखा प्रभारी/संस्थानाध्यक्ष से निवेदन है कि वे उपर्युक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करें।

हस्ता/
कुलसचिव

पत्र संख्या – आरजीयू/एचसी/आईएफसीएच/2012/06/.05 दिनांक:19../08/2026
प्रतिलिपि :

1. माननीय कुलपति के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव के निजी सचिव, राजीव गाँधी विश्वविद्यालय को सूचनार्थ।
3. सभी विभागाध्यक्ष/शाखा/कार्यालय/प्रकोष्ठ/संस्थान प्रमुख को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कंप्यूटर केन्द्र को उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के निवेदन के साथ सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

(डॉ. गुम्पी ङूसो)
हिंदी अधिकारी

PTO